

भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3196
बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

रूफटॉप सोलर पैनल के लिए प्रोत्साहन

3196. श्री अजय भट्ट: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) चालू वर्ष के दौरान छतों पर (रूफटॉप) सोलर पैनल से सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;
- (ख) इस संबंध में अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) रूफटॉप सोलर पैनल से सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं; और
- (घ) क्या ग्रिड कनेक्टिविटी की समस्याएं आ रही हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ग): ऐसा अनुमान था कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) के शुरुआती वर्ष, अर्थात् वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत सौर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से कुल 12 लाख परिवारों के लाभान्वित होने की संभावना है।

दिनांक 10.03.2025 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के तहत रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से कुल 10.09 लाख आवासीय परिवार लाभान्वित हुए हैं।

पीएमएसजी: एमबीवाई के तहत रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए उपलब्ध केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) निम्नलिखित है:

- व्यक्तिगत परिवारों के लिए, पीएमएसजी: एमबीवाई के तहत उपलब्ध केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रथम 2 किलोवाट पीक के लिए 30,000 रुपये प्रति किलोवाट पीक और अतिरिक्त 1 किलोवाट पीक के लिए 18,000 रुपये प्रति किलोवाट पीक है। व्यक्तिगत परिवारों के लिए रूफटॉप सौर संयंत्र की क्षमता पर सब्सिडी की सीमा 3 किलोवाट पीक तक है।
- समूह आवासीय सोसायटी/आवासीय कल्याण समिति (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए, सीएफए 18,000 रुपये प्रति किलोवाट पीक है, जिसमें रूफटॉप सौर संयंत्र की क्षमता सीमा 500 किलोवाट पीक है।
- विशेष श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं, के मामले में सीएफए 10% अधिक है।

(घ) ग्रिड कनेक्टिविटी की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पीएमएसजी: एमबीवाई के तहत, सभी डिस्कॉमों ने 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित करने वाले आवासीय उपभोक्ताओं के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अनुमोदन की आवश्यकता को माफ कर दिया है।
